



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 1383

दिनांक :- 24/6/2022

प्रेषक,

प्रति,

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएं
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

विषय :- शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रसारित संशोधित प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शिका तथा ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022-23 के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- क्रमांक 365/365/आउशि/शा.-5/2022 भोपाल, दिनांक 08/06/2022,

क्रमांक 833/62/आउशि/शा-5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2022

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्रानुसार निवेदन है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा प्रवेश नियम, मार्गदर्शिका में संशोधन एवं ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022-23 के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

कृपया आप अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला में विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय प्रवेश नियम, मार्गदर्शिका ऑनलाईन प्रवेश समय-सारिणी एवं दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2022/ 1384

दिनांक :- 24/6/2022

प्रतिलिपि :-

समस्त अधिकारीगण, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2022

क्रमांक: 832/62/आउशि/शा-5'अ'/2022 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 330/46/सीसी/2022/अड़तीस, भोपाल दिनांक 12.05.2022 द्वारा सत्र 2022-23 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये गए हैं। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा आदेश क्रमांक 706/62/आउशि/शा-5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 24 मई, 2022 के द्वारा प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शिका तथा ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी में संशोधित आदेश जारी किया गया।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. बिन्दु क्रमांक 23.1 (द)

संशोधन-जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के स्थान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पढ़ा जावे। इस परिपालन में (द) के बिन्दु क्रमांक 1 से 6 तक अंकित प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिये पृथक-पृथक लागू होंगे।

2. ऑनलाइन प्रवेश समय- सारणी सत्र 2022-23 के क्र. 3, 4 एवं 5 (ब) :-

संशोधन- ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी सत्र 2022-23 के क्र. 3, 4 एवं 5 (ब) के ऑनलाइन सी. एल. सी. चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश निर्देशिका की कड़िका क्रमांक 6 (उपकड़िका 6.1 से 6.10) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना पढ़ा जावे।

3. संशोधित समय-सारणी।

(दीपक सिंह)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक: 823/62/आउशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2022

प्रतिलिपि--

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई. ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र.।
10. प्राचार्य, शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई. टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय-सारणी सत्र 2022-23

epravesh.mponline.gov.in

क्र	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		कुल दिवस	स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)		कुल दिवस
		दिनांक से	दिनांक तक		दिनांक से	दिनांक तक	
प्रथम सी.एल.सी. चरण							
1	अ) नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन।	03.06.2022	14.06.2022	12	04.06.2022	15.06.2022	12
	ब) आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना।	04.06.2022	15.06.2022	12	04.06.2022	16.06.2022	13
	स) ऑनलाईन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश निर्देशिका की कंडिका क्र. 6 (6.1 से 6.10) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर लॉगइन तथा महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।	18.06.2022		01	19.06.2022		01
	द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	18.06.2022	21.06.2022	04	19.06.2022	22.06.2022	04
	य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान के लिए गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन यथावत होगा।	23.06.2022		01	23.06.2022		01
	र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	23.06.2022	26.06.2022	04	23.06.2022	26.06.2022	04
द्वितीय सी.एल.सी. चरण							
2	अ) नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन।	16.06.2022	24.06.2022	09	17.06.2022	25.06.2022	09
	ब) आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना।	16.06.2022	26.06.2022	11	17.06.2022	27.06.2022	11
	स) ऑनलाईन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश निर्देशिका की कंडिका क्र. 6 (6.1 से 6.10) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर लॉगइन तथा महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।	29.06.2022		01	30.06.22		01
	द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	29.06.2022	02.07.2022	04	30.06.2022	02.07.2022	03
	य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान के लिए गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन यथावत होगा।	04.07.2022		01	04.07.2022		01
	र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	04.07.2022	06.07.2022	03	04.07.2022	06.07.2022	03

तृतीय सी.एल.सी. चरण

3	(अ) नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन।	27.06.2022	06.06.2022	08	28.06.2022	07.07.2022	08
	(ब) आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना।	27.06.2022	10.07.2022	10	28.06.2022	10.07.2022	09
	(स) ऑनलाईन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश निर्देशिका की कंडिका क्र. 6 (6.1 से 6.10) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर लॉगइन तथा महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना। आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार सीट परिवर्तन नियम लागू किया जाएगा।	11.07.2022		01	11.07.2022		01
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर अपग्रेडेशन का विकल्प भरना।	11.07.2022	13.07.2022	03	11.07.2022	13.07.2022	03
	(य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान के लिए गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन यथावत होगा।	14.07.2022		01	14.07.2022		01
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	14.07.2022	16.07.2022	02	14.07.2022	16.07.2022	02

Amk.
10/06/22

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 365 / 365 / आउशि / शा.-5 / 2022

भोपाल, दिनांक 08/08/2022

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
2. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय
मध्य प्रदेश।

विषय:- ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022-23 के संबंध में निर्देश।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के शासकीय, अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के शिक्षकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया संचालित है। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर तथा शिक्षकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालयों चयन करने हेतु वरीयता व्यक्त की जा रही है।

2/ स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में आवेदक का चयन होने पर रूपये एक हजार ऑनलाइन जमा कर प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह शिक्षकीय पाठ्यक्रमों में वरीयता के आधार पर चयन होने पर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ऑनलाइन जमा कर प्रवेश लिया जा रहा है।

3/ ई-प्रवेश एवं शिक्षकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित होने पर निर्धारित फीस की शेष राशि का भुगतान तीन किशतों में महाविद्यालय पर किया जाए।

4/ विद्यार्थियों से विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयवार स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षकीय पाठ्यक्रम के लिये प्रदर्शित शुल्क ही महाविद्यालयों द्वारा लिया जाए। महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जाती है तो जांच उपरान्त संबंधित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की जाएगी।


(दीपक सिंह)

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

पृ0कमांक 827/365/आउशि/शा.-5/2022
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08/06/2022

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।


विशेष कर्तव्यस्थअधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश